विद्या ददाति विनयम्

संजीव®

सामान्य हिन्दी व्याकरण

स्कूल, कॉलेज एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए
समान रूप से उपयोगी

लेखक

कैलाश नागौरी

सम्पादक

डॉ. दीपेश कुमार सैनी

संजीव प्रकाशन, जयपुर

- **प्रकाशक :**
  संजीव प्रकाशन
  धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता,
  जयपुर-03
  website : www.sanjivprakashan.com

- © सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

- **Fix Rate : ₹ 250/-**

- **लेजर कम्पोजिंग :**
  संजीव प्रकाशन (D.T.P. Department), जयपुर

- **मुद्रक :** पंजाबी प्रेस, जयपुर

- इस पुस्तक में त्रुटियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। किसी भी त्रुटि के पाये जाने पर अथवा किसी भी तरह के सुझाव के लिए आप हमें निम्न पते पर email या पत्र भेजकर सूचित कर सकते हैं—
  email : sanjeevcompetition@gmail.com
  पता : प्रकाशन विभाग, संजीव प्रकाशन
  धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर
  आपके द्वारा भेजे गये सुझावों से अगला संस्करण और बेहतर हो सकेगा।
- इस पुस्तक के किसी भी अंश का पुनरुत्पादन या किसी प्रणाली के सहारे पुनर्प्राप्ति का प्रयास अथवा किसी भी तकनीक या तरीके—इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या वेब माध्यम से प्रकाशक की अनुमति के बिना प्रकाशन या वितरण नहीं किया जा सकता है।
- हमने अपने प्रयास से इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्रोतों से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में प्रकाशित किसी भी सूचना की सत्यता या त्रुटि के प्रति तथा इससे होने वाली किसी भी क्षति के लिए लेखक, प्रकाशक, संपादक तथा मुद्रक किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं हैं।
- सभी प्रकार के प्रतिवादों का न्यायिक क्षेत्र 'जयपुर' होगा।

लेखक की कलम से

(प्रथम संस्करण की भूमिका)

हाल ही में हुई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों का स्तर बहुत कुछ बदल चुका है। सरल प्रतीत होने वाले प्रश्नों में भी संशय हो जाता है। ऐसे में एक ऐसी पुस्तक की मांग लंबे समय से थी, जिसमें सामान्य हिंदी व्याकरण के सभी अध्यायों का परीक्षा की दृष्टि से विश्लेषण हो और सामान्य हिंदी व्याकरण एवं सामान्य हिंदी साहित्य का कोई भी अध्याय शेष न हो, अत: संजीव प्रकाशन से प्रकाशित सामान्य हिंदी व्याकरण पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है। इस पुस्तक में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण के लगभग सभी अध्यायों का सरल भाषा में विश्लेषण दिया गया है और साथ ही पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्यायवार संयोजन किया गया है। हिंदी व्याकरण के सभी अध्यायों में प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार से व्याख्या दी गई है। पुस्तक के लेखन एवं टाईपिंग में पूर्णतया सावधानी बरती गई है तथा सभी तथ्य मानक पुस्तकों से लिए गए हैं। यदि पुस्तक की भाषा-शैली की बात की जाए तो हमने सैद्धांतिक के साथ व्यावहारिक भाषा का भी भरपूर प्रयोग किया है, ताकि किसी भी अध्याय-बिंदु को समझने में तारतम्यता बनी रहे और रटने की जगह समझने की प्रवृत्ति विकसित हो।

यह पुस्तक न केवल राजस्थान अपितु अखिल भारत की लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि सामान्य हिंदी व्याकरण एवं सामान्य हिंदी साहित्य के सभी बिंदुओं पर सरल भाषा में चर्चा की गई है। पुस्तक के संपादन में डॉ. दीपेश कुमार सैनी के अनुभव का हमने पूरा लाभ उठाया है। अध्यायों का क्रम, चर्चा की रूपरेखा, उदाहरण, प्रश्नों का स्तर एवं अध्याय को सहज रूप से समझने की पूर्व भूमिका की भाषा का अवलोकन कर डॉ. दीपेश कुमार सैनी ने इस पुस्तक का संपादन किया है। निश्चित रूप से यह पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

हमने पूरी-पूरी कोशिश की है कि यह पुस्तक अभ्यर्थियों की पसंदीदा पुस्तकों की सूची में सबसे ऊपर हो, तथापि मानवीय स्वभाववश कहीं भूल हो जाती है तो आप इसे अनदेखा न करें, हमें ईमेल पर बताएँ, जिससे आगामी अंक बेहतर हो सके। यदि यह पुस्तक सही मायने में खरी उतरती है तो आपसे निवेदन है कि आप अपने भाई-बहिनों एवं मित्रों को भी इस पुस्तक का सुझाव अवश्य दें। उम्मीद है कि आप इस कार्य को प्रोत्साहन देकर हमें उत्साहित करेंगे। आपके बेहतरीन सुझाव से आगे हम और बेहतर करेंगे।

धन्यवाद!

✍ कैलाश नागौरी
(सरसा बुक)

सामान्य हिन्दी व्याकरण

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	हिन्दी भाषा का परिचय, उद्‌भव और विकास	1-8
2.	वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण	9-13
3.	तत्सम एवं तद्‌भव शब्द	14-21
4.	रूढ़, यौगिक एवं योगरूढ़ शब्द	22
5.	संकर शब्द	23
6.	शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना, शब्दों के मानक रूप लिखना	24-27
7.	सन्धि	28-39
8.	समास	40-50
9.	उपसर्ग	51-54
10.	प्रत्यय	55-60
11.	संज्ञा	61-64
12.	सर्वनाम	65-69
13.	विशेषण, विशेष्य	70-74
14.	क्रिया	75-78
15.	क्रिया विशेषण	79-80
16.	अव्यय	81-84
17.	विराम चिह्न	85-88
18.	कारक चिह्न	89-91
19.	वचन	92-94
20.	काल	95-96
21.	लिंग	97-99
22.	पुरुष	100
23.	शब्द-शक्ति	101-103
24.	रीति	104
25.	वृत्ति	105-106
26.	पक्ष	107-108
27.	वाच्य	109-111
28.	समश्रुत भिन्नार्थक शब्द (युग्म शब्द)	112-122
29.	देशज शब्द, विदेशी शब्द	123-124
30.	अनेकार्थक शब्द	125-133

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या

31. विलोम शब्द 134-143
32. पर्यायवाची शब्द 144-154
33. एकार्थी शब्द 155-157
34. विशेष अर्थों में प्रयुक्त संख्यावाचक शब्द 158-160
35. शब्द शुद्धि 161-171
36. वाक्य, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार 172-176
37. वाक्यांशों के लिए एक शब्द 177-186
38. वाक्यगत अशुद्धियाँ 187-199
39. पदबंध 200-201
40. पद-परिचय 202-204
41. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 205-229
42. प्रमुख सूक्तियाँ एवं कथन 230
43. राजस्थानी मुहावरों एवं कहावतों/लोकोक्तियों का अर्थ 231-238
44. छन्द 239-246
45. अलंकार 247-251
46. रस 252-257
47. अर्थ (सरलार्थ), भावार्थ और व्याख्या 258-259
48. संक्षेपण/सार लेखन 260-265
49. पल्लवन/वृद्धीकरण 266-272
50. अनुच्छेद 273-274
51. अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद 275-279
52. पत्र प्रारूप व पत्र-लेखन 280-303
53. अपठित गद्यांश व पद्यांश 304-324
54. हिन्दी साहित्य की प्रमुख विधाएँ 325-336
55. हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार और उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ 337-342
56. राजस्थानी शब्दों के हिन्दी रूप 343-357
57. लिंगकोश 358-361
58. पारिभाषिक शब्दावली 362-364
59. प्रशासनिक शब्दावली 365-386
60. निबन्ध-लेखन 387-394

अध्याय 01 हिन्दी भाषा का परिचय, उद्‌भव और विकास

भाषा—भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य/व्यक्ति अपने विचार/भाव दूसरे व्यक्ति तक भली-भाँति रूप से पहुँचा सकता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्पष्ट रूप से समझ सकता है। सम्पूर्ण विश्व में अधिकांश कार्य-व्यवहार बोलचाल अथवा लिखित रूप में चलता है, इसलिए इन सबका मूल भाषा में निहित है।

(मूक बधिर और श्रवण बधिर व्यक्ति सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं)

भाषा के माध्यम से व्यक्ति एक-दूसरे के विचारों को जानने के साथ-साथ उन विचारों से उत्पन्न कार्य के लिए सहायता हेतु स्वयं के मस्तिष्क में नवीन विचार भी उत्पन्न करते हैं।

मानव-जाति के विकास में बातचीत और अभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण साधन या सम्प्रेषण का माध्यम 'भाषा' है। मनुष्य भाषा द्वारा परस्पर विचार-विनिमय, सन्देश, सूचना तथा अपनी भावना की अभिव्यक्ति करता है। वाणी के द्वारा हम जिन ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों को व्यक्त करते हैं, उनका आधार मानक भाषा होती है। भाषा के लिखित या मौखिक रूप से हमें अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान-विज्ञान एवं परम्पराओं का ज्ञान होता है।

'भाषा' शब्द की व्युत्पत्ति—'भाषा' शब्द संस्कृत की 'भाष्' धातु से बना है। 'भाष्' धातु का अर्थ है = (भाष् व्यक्तायां वाचि) 'व्यक्त वाणि'। इस तरह विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने तथा मनोभावों को प्रकाशित करने के साधन को भाषा कहते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति अपने किसी उच्चारण अवयव द्वारा दूसरे व्यक्ति पर जो कुछ प्रकट करता है, वही भाषा है।

भाषा की परिभाषा—पतंजलि के अनुसार ''मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा कहलाती है।''

इसी तरह ''ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।'' अतः भाषा यादृच्छिक ध्वनि-संकेतों की वह पद्धति है, जिसके द्वारा समाज-विशेष के लोग परस्पर विचारों एवं भावनाओं का लिखित-मौखिक रूप में आदान-प्रदान करते हैं।

भाषा के प्रकार—भाषा के दो प्रकार बताये गये हैं—(1) मौखिक (2) लिखित। मौखिक भाषा से आपसी बातचीत, भाषण एवं संवाद इत्यादि होते हैं, जबकि लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से समस्त अभिव्यक्ति का प्रस्तुतीकरण होता है। लिखित भाषा या लिपि ही भाषा की पहचान होती है। संसार की जितनी भाषाएँ हैं, उनकी बोली और भाषा भिन्न होने से लिपि भी भिन्न है। भाषा पर स्थान, जलवायु और सभ्यता का बहुत प्रभाव पड़ता है। स्थान और जलवायु बदलने से उच्चारण में अन्तर आ जाता है।

भाषा और बोली—एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को 'बोली' कहा जाता है। इसे 'उप भाषा' के नाम से भी जाना जाता है। तभी तो कहा गया है कि 'कोस-कोस पर पानी बदले, पाँच कोस पर बानी।' हर पाँच-सात मील दूरी पर ही बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। इसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा इसका व्याकरण भी नहीं होता व शब्दकोश भी नहीं होता है जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है।

भाषा के भेद—भाषा के प्रमुख भेद या रूप आठ हैं—

(1) मूल भाषा (2) व्यक्ति बोली या व्यक्ति भाषा (3) उपबोली या स्थानीय बोली (4) बोली और भाषा (5) आदर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा (6) राष्ट्रभाषा (7) विशिष्ट भाषा (8) कृत्रिम भाषा।

भाषा की इकाइयाँ—भाषा की पाँच इकाइयाँ हैं—

1. ध्वनि—हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक पूर्ण व स्वतन्त्र आवाज को ध्वनि कहते हैं।

2. वर्ण—मुख से उच्चरित स्वर-व्यंजन की ध्वनियाँ जब लिखित रूप में प्रयुक्त होती हैं, तो उसे वर्ण कहते हैं।

3. शब्द—वर्णों के जो सार्थक समूह होते हैं उन्हें शब्द कहते हैं।

4. पद—वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति-युक्त शब्द को पद कहते हैं।

5. वाक्य—सार्थक शब्द-समूह को अन्वितार्थबोधक एवं पूर्ण विचाराभिव्यक्ति होने पर वाक्य कहते हैं।

भाषा के रूप में हिन्दी के विविध अर्थ—प्रारम्भ में 'हिन्दी' शब्द क्षेत्र बोधक था। धीरे-धीरे यह यहाँ की वस्तुओं और निवासियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। अन्ततः यह भाषा के लिए रूढ़ हो गया, परन्तु हिन्दी भाषा के सन्दर्भ में भी आज इसके तीन अर्थ मिलते हैं—(i) व्यापक अर्थ, (ii) सामान्य अर्थ और (iii) विशिष्ट अर्थ

(i) व्यापक अर्थ—अपने व्यापक अर्थ में हिन्दी, (बाबू श्यामसुन्दरदास तथा डॉ. धीरेन्द्र वर्मा के मतानुसार) हिन्दी-प्रदेश में बोली जाने वाली समस्त 18 बोलियों की प्रतिनिधि भाषा है।

(ii) सामान्य अर्थ—जॉर्ज ग्रियर्सन एवं सुनीति कुमार चटर्जी प्रभृति भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार केवल पूर्वी हिन्दी एवं पश्चिमी हिन्दी की बोलियों को ही हिन्दी भाषा की बोली के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार इनकी मान्यताओं के धरातल पर हिन्दी को 8 (पश्चिमी हिन्दी की 5 और पूर्वी हिन्दी की 3) बोलियों की प्रतिनिधि भाषा मानते हुए उसका उद्‌भव शौरसेनी और अर्द्धमागधी अपभ्रंश से माना जा सकता है।

(iii) विशिष्ट अर्थ—हिन्दी भाषा का समसामयिक आशय है—खड़ी बोली हिन्दी। भारतीय संविधान के अन्तर्गत इसे भारत संघ की राजभाषा के रूप में (अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक) एवं 8वीं अनुसूची में देश की 22 प्रमुख भाषाओं के अन्तर्गत स्थान दिया गया है। हिन्दी आज देश के बहुतायत लोगों की मातृभाषा है।

हिन्दी भाषा का उद्‌भव और विकास—हिन्दी भाषा पूर्णतया वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश के उत्तरार्द्ध काल में ही इसका स्वरूप

स्पष्ट हो गया था लेकिन एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में इसकी पहचान लगभग 1000 ई. के समय होती है। तब से अब तक यह विकास के पथ पर निरन्तर गतिशील है।

(i) आदिकाल (1000 से 1500 ई. तक)—हिन्दी भाषा का आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता का काल कहा जा सकता है। जर, जोरू और जमीन तथाकथित अभिमान के प्रणेता इन लोगों को हिंसक पशुओं के समान बना रहे थे। इस विनाशलीला से जहाँ कुछ लोग उत्साहित होते थे, वहीं बहुत-से लोग विक्षुब्ध भी थे। कुछेक ने इनसे स्वयं को दूर रखा। भोग एवं योग अपूर्व समन्वय इस युग की रचनाओं से दृष्टिगत होता है। इसमें राजाश्रय, धर्माश्रय में सृजित होने वाली रचनाओं के लिए डिंगल, पिंगल, दक्खिनी, अवधी, ब्रज आदि भाषाएँ माध्यम भाषा के रूप में अपनायी गयीं। इस अवधि में सृजित साहित्य जो अभी तक उपलब्ध हुआ है वह राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लिखा गया है। प्रारम्भिक व्याकरण हेमचन्द्र के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम था—शब्दानुशासन या सिद्ध हेम व्याकरण।

इस युग में विकास की दृष्टि से हिन्दी की निम्न ध्वनिगत एवं रूपगत विशेषताएँ हैं—

1. अपभ्रंश में 8 स्वर थे—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए तथा ऐ। हिन्दी में नए स्वर ऐ तथा औ विकसित हुए। इनका उच्चारण क्रमशः अ, ए तथा ओ-रूप में होता था। इन्हें संयुक्त स्वर कहा गया।

2. अपभ्रंश में ड़ और ढ़ व्यंजन नहीं थे जो कि हिन्दी में प्रचलित हुए।

3. न्ह, ल्ह, यह जैसे संयुक्त व्यंजन अपने पूर्व व्यंजन के महाप्राण के रूप में प्रचलित होकर मूल व्यंजन बन गए।

4. सहायक क्रियाओं एवं उपसर्गों के अलग प्रयोग से हिन्दी की मूल विशिष्टता वियोगात्मकता, इसके प्रारम्भिक काल में ही प्रभावी दृष्टिगत होने लगी।

5. अपेक्षाकृत कम होते हुए नपुंसक लिंग शब्द धीरे-धीरे समाप्त हो गए।

6. इसमें वाक्य-रचना का स्वरूप भी सुनिश्चित हो गया।

7. इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ा तथा अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द भी प्रचुर संख्या में अपनाए गए।

मध्यकाल (1501 से 1800 ई. तक)—यह स्वर्णकाल कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कला, हिन्दी भाषा और साहित्य में अत्यधिक उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं। इस काल में राजनीतिक स्थिरता एवं शान्ति रही साथ ही हिन्दी भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। संस्कृत भाषा पंडितों की प्रमुख भाषा थी किन्तु सन्तों एवं भक्तों ने लोक बोलियों को अपनाकर उसे भाषा के स्तर तक पहुँचा दिया। सूरदास और तुलसीदास के सुयोग से विकसित इन दोनों बोलियों ने अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी भाषा में योगदान दिया।

1. हिन्दी भाषा की वियोगितात्मकता लगभग पूरी हो गयी और परसर्ग एवं क्रियाओं का अधिक से अधिक स्वतन्त्र प्रयोग होने लगा।

2. रीतिकालीन कवियों के कारण हिन्दी में प्रचुर मात्रा में तत्सम शब्द सम्मिलित एवं प्रचलित हुए तथा मुक्तक धारा के रचनाकारों के प्रभाव से तद्भव एवं देशी तथा देशज शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ।

3. यूरोपीय जातियों में सम्पर्क के कारण पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रेंच तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग प्रायः हिन्दी के अपने व्याकरण के अनुसार अत्यधिक मात्रा में होने लगा।

4. फारसी भाषा में सम्पर्क के कारण हिन्दी में पाँच नयी ध्वनियाँ प्रचलित हुईं—क, ख, ग, ज़ तथा फ।

5. अ से होने वाले शब्दांत में अ का उच्चारण समाप्त होने लगा; जैसे—अर्थात्, सम्राट्, तथागत् आदि।

6. हिन्दी का व्याकरणिक स्वरूप भी लगभग सुनिश्चित हो गया। अपभ्रंश रूप या तो प्रचलन में समाप्त हो गये अथवा हिन्दी के अपने बन गये।

7. मुसलमानों में आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित होने के कारण उनकी विविध भाषाओं-अरबी, फारसी, तुर्की आदि के लगभग 6000 शब्द हिन्दी में अपना लिए गए।

आधुनिक काल (1800 ई. से वर्तमान)—इस अवधि को खड़ी बोली हिन्दी का काल कहा जा सकता है। साहित्यिक दृष्टि से ब्रज भाषा और अवधी एक तरफ जनमानस से दूर होकर विशिष्ट वर्ग की भाषा बन गयी, तो दूसरी तरफ हिन्दी प्रदेश पर अधिकार करने वाले अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक गतिविधियों की सुकरता हेतु 1800 ई. से ही खड़ी बोली को संरक्षण प्रदान करते हुए अपना लिया। राष्ट्रीय चेतना की व्यापकता, सामाजिक जागरण और प्रेस के अस्तित्व में आने के कारण खड़ी बोली साहित्य रचना की एकमात्र भाषा बन गयी।

अहिन्दी भाषा-भाषी के क्षेत्र के विशिष्ट जनप्रतिनिधियों ने भी खड़ी बोली को एक स्वर से स्वदेशी (सम्पर्क) भाषा के रूप में स्वीकार किया। खड़ी बोली को इन्होंने पूरे मनोयोग से स्वीकार कर हिन्दी से जुड़ी राष्ट्रीय अपेक्षाओं की पूर्ति कर दिखाया। इस दृष्टि से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, जिन्होंने खड़ी बोली हिन्दी एवं उसमें (उसके माध्यम से) लिखी जाने वाली रचनाओं का परिष्करण एवं परिमार्जन करके छायावाद के आगमन तक उसे हर दृष्टि से सक्षम भाषा बनने का सुयोग प्रस्तुत किया।

1. कचहरी में उर्दू भाषा और फारसी लिपि के प्रचलन के कारण 1947 ई. तक क़, ख़, ग़, ज़ और फ़ वर्ण तो प्रचलन में रहे, किन्तु धीरे-धीरे क़, ख़, ग़- क, ख, ग के रूप में प्रयुक्त होने लगे पर ज़ और फ़ प्रचलन में अभी भी बने हुए हैं।

2. अंग्रेजी के प्रभाव से उनके 'O' वर्ण के लिए एक नयी ध्वनि 'ऑ' प्रचलित हुई; जैसे—कॉलेज, डॉक्टर, कॉलगेट आदि।

3. एक संयुक्त व्यंजन 'ड्र' भी प्रचलन में आया है; जैसे—ड्रिप, ड्रग आदि।

4. शब्द के अन्त में 'अ' का उच्चारण लगभग समाप्त हो चुका है; जैसे राम, श्याम आदि।

5. शिक्षा, वाणिज्य, आकाशवाणी, प्रेस तथा दूरदर्शन के प्रभाव से व्यावहारिक धरातल पर हिन्दी का व्याकरणिक स्वरूप लगभग सुनिश्चित हो चुका है। फिर भी वर्तमान में इसके निम्न स्वरूप हैं—

(i) हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र के साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त होने वाली साहित्यक हिन्दी।

(ii) हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र के जनसामान्य या विशिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त होने वाली हिन्दी।

शासन, विज्ञान, उद्योग, व्यापार, चिकित्सा तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के कारण हिन्दी भाषा में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का समन्वय हो रहा है; जैसे—ग्रहण, निर्माण, अनुकूलन (तकनीक, अकादमी, डीजल) और सचर्यन (निस्तन्त्री)।

हिन्दी शब्द की व्युत्पत्ति—

'हिन्दी' शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर-पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी से संबंधित है। अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रमणकारी उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से ही भारत आए। ईरान (फ़ारस) के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी 'सिंधु' को 'हिन्दु' कहते थे [सिंधु→हिन्दु, स का ह में तथा ध का द में परिवर्तन—पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन]। 'हिन्दु' से 'हिन्द' बना और फिर 'हिन्द' में फ़ारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय 'ई' लगने से 'हिन्दी' बन गया। 'हिन्दी' का अर्थ है—'हिन्द का'। इस प्रकार हिन्दी शब्द की उत्पत्ति हिन्द देश के निवासियों के अर्थ में हुई। बाद में यह शब्द 'हिन्द की भाषा' के अर्थ में प्रयोग में आने लगा। इससे तीन बातें सामने आती हैं—

1. 'हिन्दी' शब्द का विकास कई चरणों में हुआ—
   सिंधु→ हिन्दु → हिन्द + ई → हिन्दी।
2. 'हिन्दी' शब्द मूलत: फारसी का है न कि हिन्दी भाषा का।

कुछ हिन्दी प्रेमी 'हिन्दी' शब्द की व्युत्पत्ति हिन्दी भाषा में ही दिखाने की कोशिश की है, जैसे—हिन (हनन करने वाला) + दु (दुष्ट) = हिन्दु अर्थात् दुष्टों का हनन करने वाला हिन्दु और उन लोगों की भाषा हिन्दी; हीन (हीनों) + दु (दलन) = हिन्दु अर्थात् हीनों का दलन करने वाला हिन्दु और उनकी भाषा हिन्दी। चूँकि इन व्युत्पत्तियों में प्रमाण कम, अनुमान अधिक है इसलिए सामान्यत: इन्हें स्वीकार नहीं जाता।

3. 'हिन्दी' शब्द के दो अर्थ हैं—'हिन्द देश के निवासी' (यथा—हिन्दी है हम, वतन हैं हिन्दोस्तां हमारा—इकबाल) और 'हिन्द की भाषा'। लेकिन अब हिन्दी का नहीं बल्कि भारतवासी, हिन्दुस्तानी इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है और व्यापक भाषा में भी हिन्दी का प्रयोग नहीं होता क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है।

'हिन्दी' शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है बल्कि यह भाषा-समूह का नाम है।

बोलियाँ

वर्तमान समय में जो भारतीय भाषाएँ हैं उनका विकास अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। इनमें कई भेद थे जिनसे क्रमश: हिन्दी की उपभाषाओं एवं बोलियों का विकास हुआ। निम्नलिखित उपभाषाएँ जिनका विकास अपभ्रंशों से हुआ—

1. शौरसेनी अपभ्रंश — पश्चिमी हिन्दी उपभाषा
2. उपनागर अपभ्रंश — राजस्थानी हिन्दी उपभाषा
3. मागधी अपभ्रंश — बिहारी हिन्दी उपभाषा
4. अर्ध मागधी अपभ्रंश — पूर्वी हिन्दी उपभाषा
5. खस अपभ्रंश — पहाड़ी हिन्दी उपभाषा

इन उपभाषाओं से ही विभिन्न बोलियों का विकास हुआ जो कि निम्न हैं—

उपभाषा और उनकी बोलियाँ

1.	पश्चिमी हिन्दी	ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी/खड़ी बोली, हरियाणवी।
2.	पूर्वी हिन्दी	अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
3.	राजस्थानी हिन्दी	मारवाड़ी (पश्चिमी राजस्थानी) जयपुरी ढूँढाड़ी (पूर्वी राजस्थानी) मेवाती (उत्तरी राजस्थानी) मालवी/हाड़ौती (दक्षिणी राजस्थानी)
4.	बिहारी हिन्दी	भोजपुरी, मैथिली, मगही
5.	पहाड़ी हिन्दी	पश्चिमी पहाड़ी — मध्यवर्ती पहाड़ी (कुमायूँनी, गढ़वाली)

मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं:—1. असमिया 2. उर्दू 3. ओड़िया 4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. गुजराती 7. तमिल 8. तेलुगू 9. पंजाबी 10. बंगाली 11. मराठी 12. मलयालम 13. संस्कृत 14. हिन्दी।

बाद में जोड़ी गई भाषाएँ—15. सिन्धी → 21वें संविधान संशोधन, 1967 द्वारा

16. मणिपुरी
17. नेपाली
18. कोंकणी

→ 71वें संविधान →संशोधन, 1992 द्वारा

19. डोगरी
20. बोड़ो
21. मैथिली
22. संथाली

→ 92वें संविधान →संशोधन, 2003 द्वारा

पश्चिमी हिन्दी की बोलियाँ

1. ब्रजभाषा—शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित ब्रजभाषा, पश्चिमी हिन्दी की ओकार बहुला उपवर्ग की प्रतिनिधि बोली है। यह बोली मथुरा, आगरा, धौलपुर, करौली, भरतपुर, ग्वालियर (पश्चिमी हिस्सा), जयपुर (पूर्वी हिस्सा), गुड़गाँव (पूर्वी हिस्सा), बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूँ, बरेली तथा नैनीताल के क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रजभाषा में साहित्य व लोकसाहित्य दोनों ही पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। सूरदास, बिहारी, देव, रत्नाकर, नंददास, रहीम आदि इस भाषा के प्रमुख कवि हैं।

2. खड़ी बोली—खड़ी बोली अथवा कौरवी, शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से उद्भूत पश्चिमी हिन्दी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून का मैदानी भाग व दिल्ली का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। साहित्य व लोकसाहित्य दोनों ही दृष्टियों से यह बहुत सम्पन्न बोली है।

3. हरियाणवी—यह बांगरू के नाम से जानी जाती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है जो पश्चिमी हिन्दी के आकार बहुला वर्ग से सम्बन्धित है। हरियाणवी मुख्यत: हरियाणा व दिल्ली में बोली जाती है।

4. कन्नौजी—इसका उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। कन्नौज क्षेत्र इसका मुख्य केन्द्र है। इसके अन्य क्षेत्रों जैसे इटावा,

फर्रूखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत में भी कन्नौजी बोली जाती है। यह पश्चिमी हिन्दी की ओकार बहुला वर्ग की बोली है।

5. बुंदेली—बुंदेलखण्ड क्षेत्र की मुख्य बोली बुंदेली पश्चिमी हिन्दी की ओकार बहुला उपवर्ग की बोली है। यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसके व्यवहार क्षेत्र के अंतर्गत झाँसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, सिवनी, नृसिंहपुर, होशंगाबाद व उसके आस-पास का क्षेत्र आता है।

पूर्वी हिन्दी की बोलियाँ

1. अवधी—यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिन्दी की प्रमुख बोली है। इसका प्रमुख केन्द्र अयोध्या है। यह बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, प्रयागराज व उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। अवधी के प्रमुख कवियों में तुलसीदास, मुल्ला दाऊद, उस्मान, कुतुबन, जायसी इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

2. छत्तीसगढ़ी—अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोली होने के कारण छत्तीसगढ़ी नाम से जानी जाती है। इस बोली के क्षेत्र सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रामगढ़, खैरागढ़, राजपुर, दुर्ग, नंदगाँव, काकेर आदि हैं।

3. बघेली—बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बघेलखंड क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने के कारण इसका नाम बघेली या बघेलखंडी पड़ा है। इसके प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत रीवा, नागौद, सीधी, शहडोल, सतना तथा मैहर व उसके आसपास का क्षेत्र आता है।

राजस्थानी हिन्दी की प्रमुख बोलियाँ

(1) मारवाड़ी (पश्चिमी राजस्थानी)—उपनागर अपभ्रंश से विकसित मारवाड़ी बोली को पश्चिमी राजस्थान यथा—जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर तथा बीकानेर आदि क्षेत्रों में बोले जाने के कारण पश्चिमी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। राजस्थानी में साहित्य एवं लोक साहित्य दोनों मिलता है।

(2) मेवाती (उत्तरी राजस्थानी)—'मेओ जाति' के प्रमुख क्षेत्र मेवात के नाम पर इसे 'मेवाती' कहा जाता है। यह उपनागर अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह उत्तरी राजस्थान के अलवर, गुड़गाँव, धौलपुर, भरतपुर व उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे उत्तरी राजस्थानी बोली भी कहते हैं।

(3) मालवी/हाड़ौती (दक्षिणी राजस्थानी)—इस बोली का मुख्य केन्द्र मालवा है। यह उपनागर अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसके अन्य क्षेत्र झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा तथा इनके आसपास का क्षेत्र है। इसे दक्षिणी राजस्थानी बोली के नाम से भी जाना जाता है।

(4) जयपुरी ढूँढाड़ी (पूर्वी राजस्थानी)—यह जयपुर, अजमेर तथा किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे पूर्वी राजस्थानी बोली भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम 'ढूँढाड़ी' भी है। जयपुरी में केवल लोक साहित्य मिलता है। यह उपनागर अपभ्रंश से विकसित हुई है।

बिहारी हिन्दी की प्रमुख बोलियाँ

1. भोजपुरी—भोजपुरी का उद्भव व विकास मगधी अपभ्रंश से माना जाता है। शाहबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर इस बोली का नामकरण किया गया है। इस बोली के अंतर्गत आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारन, सारन, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया व आसपास के कुछ क्षेत्र आते हैं। इसमें लोक साहित्य उपलब्ध है।

2. मगही—मागधी अपभ्रंश से विकसित इस बोली के क्षेत्र पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर आदि हैं। इस बोली का नाम संस्कृत के 'मगध' से विकसित 'मगह' शब्द पर आधारित है। इसमें लोक साहित्य मिलता है।

3. मैथिली—यह मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इस बोली का प्रमुख केन्द्र मिथिला है। इसके अन्य क्षेत्रों में दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर आदि हैं। इसमें साहित्य व लोक साहित्य दोनों ही उपलब्ध होते हैं। मैथिली के सर्वश्रेष्ठ कवि 'विद्यापति' माने गये हैं।

पहाड़ी हिन्दी की प्रमुख बोलियाँ

खस अपभ्रंश से विकसित पहाड़ी हिन्दी की दो प्रमुख बोलियाँ हैं—गढ़वाली व कुमायूँनी।

1. गढ़वाली—गढ़वाली बोली मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल, टिहरी, चमोली व उत्तरकाशी में बोली जाती है। इस बोली में लोक साहित्य मिलता है।

2. कुमायूँनी—उत्तराखंड के कूर्मांचल (कुमायूँ क्षेत्र) होने के कारण इसे कुमायूँनी कहा जाता है। कुमायूँनी बोली उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल जिलों में बोली जाती है।

इन बोलियों के मेल से बनी हिन्दी ही 14 सितम्बर, 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिन्दी की भाषाई विविधता के कारण ही हिन्दी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है।

भाषा और बोली में अंतर

भाषा अर्थात् जिसे भाष् किया जाए, जो कंठ से लयबद्ध कर विचारों को व्यक्त करने में सहायक है। यह व्याकरण सम्मत विचारों के वहन की दृष्टि से केवल नाममात्र की कामचलाऊ नहीं होती बल्कि साहित्य निर्माण का आधार है। भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है। भाषा एक लम्बे विकास-प्रक्रिया का परिणाम होती है जिसमें अधिक बहुमुखीपन, सारगर्भिता, सटीकता का गुण छिपा होता है। हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि ऐसी ही भाषाएँ हैं जिनमें एक विशाल साहित्य निर्मित है। इन भाषाओं का स्वयं का सुव्यवस्थित व्याकरण है जिसके नियमों में बंधकर ही ये भाषाएँ अपने परिपक्व स्वरूप को प्राप्त करती हैं।

बोली वह है जिसे बोला जाए अर्थात् सामान्य बोलचाल की भाषा में जो कुछ बोला जाए उसे बोली कह दिया जाता है। यह न तो व्याकरण सम्मत होती है और न ही भाषा के सापेक्षिक स्थायी। सामान्य लोग अपने दैनिक बोलचाल, क्रियाकलाप के सम्पादन के लिये जिसका